**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही**
**(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)**

**आवेदक**
राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानपुर, आबूरोड, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही

2. कैलाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र हजारी मल अग्रवाल,(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- विनायक ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड, जिला- सिरोही

3. आशीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरीराम अग्रवाल, निवासी- बछावतों का मोहल्ला, बडा बाजार, बीकानेर - 334001 (राज.)

फर्मः- NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD., F- 210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj.)

4- NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. F, 210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj.)

**प्रकरण संख्याः 37/2020**

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई, प्रतिवादीगण की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 02 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.10.2019 को दौराने गश्त समय 11.15 ए.एम. पर फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानुपर, आबूरोड, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में [illegible] मौजूद प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के 24 [illegible] में से प्रोपराईटरी फूड सोन

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) की कीमत 560/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1046, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना पैकेटों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1046 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.10.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का नमूना S-1046 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथ अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर ... अप्रार्थी विवादीगण के द्वारा अमानक

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला वाणिज्य
सिरोही-307001.

(Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण मे नियत सुनवाई तिथि 25.11.2020 को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 क्रमशः विजय शर्मा व कैलाश चन्द्र अग्रवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 24.2.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या-3 व के अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या-3 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण को खारिज कराने का अनुरोध किया।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 15.10.2019 को 11.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, कारोली, तलहटी, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से विजय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- एच.जी. रोड, प्लॉट नं. 70, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) ... पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम)

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

...मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

को जांच हेतु खरीदा एवं खरीदशुदा प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 560/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1046, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के खरीदशुदा चारों पैक्ड पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1046 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता विजय शर्मा, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्[illegible], सिरोही को दिनांक 15.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त [illegible] प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) [illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./825/Act/ 2019/936 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड में खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा से वास्ते जांच कय किया गया प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी(रजवाडी ब्राण्ड) का नमूना S-1046 अमानक(Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/12634-37 दिनांक 28.11.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी विजय शर्मा तथा निर्माता फर्म नवहरी फूड प्रोडक्ट प्रा.लि. को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अर्पाल आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मॉडर्न इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., तलहटी, आबूरोड द्वारा प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को बिल नम्बर 5491 दिनांक 20.9.2019 के द्वारा फर्म विनायक ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला-सिरोही से क्रय किया गया था जो प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म विनायक ट्रेडर्स, आजाद मैदान, आबूरोड़ के द्वारा प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को इनवोईस नम्बर R-3508 दिनांक 10.9.2019 के द्वारा निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD., F-210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj.) से क्रय किये थे। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD., F-210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj.) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. के नॉमिनी प्रतिवादी आशीष कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(कालूराम खोड़)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.